

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

करण संख्या: 93/2019/दावा

1. कानाराम पुत्र मोहनलाल जाते कुमावत (कुम्हार) निवासी ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।
2. फूलीदेवी पत्नि मोहनलाल जाति कुमावत (कुम्हार) निवासीनी ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।
3. गंगाराम दत्तक पुत्र हरबक्सा जाति कुमावत (कुम्हार) निवासी ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

— वादीगण

ब न म

1. कालूराम
 2. नारायण
 3. मंगलचन्द
 4. सांवरमल
- } पुत्रगण श्रीकिशन
5. धापूदेवी पत्नि श्रीकिशन
 6. जोधाराम पुत्र रुघनाथ
- समस्त जाति कुमावत (कुम्हार) समस्त निवासीगण ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।
 8. उप-पंजीयक पंजीयन एवं मुद्रांक दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।
 9. प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भाखा पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा,
स्थायी निशेधाज्ञा एवं रिकार्ड संशोधन


उपस्थिति :-

1. श्री नन्दलाल धायल, रतनलाल पलसानियो वकील वादीगण की ओर से।
2. श्री सुरेन्द्रपाल धायल वकील प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 की ओर से।
3. प्रतिवादीगण सं. 7 लगायत 9 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

नि र्ण य

दिनांक 11.01.2022

1. वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2581 रकबा 0.87 है. किस्म चाही प्रथम, ख.नं. 2582 रकबा 0.06 है. किस्म चाही प्रथम,


उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ


ख.नं. 2593 रकबा 0.59 है. किस्म चाही प्रथम, ख.नं. 2594 रकबा 0.80 है. किस्म चाही प्रथम, द्वितीय, ख.नं. 2602 रकबा 0.03 है. गै. मु. चाह एवं ख.नं. 2603 रकबा 0.90 है. किस्म चाही प्रथम कुल किता 6 कुल रकबा 3.25 हैक्टयर राजस्व ग्राम पचार पटवार हल्का पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.) की सरहद में अवस्थित है। उक्त कृषि आराजियात में से वादीगण कानाराम हिस्सा 1/18, फूलीदेवी हिस्सा 1/18, गंगाराम हिस्सा 5/9 (हि. 1/2 व 1/18) एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 का प्रत्येक का 1/30 हिस्सा प्रतिवादी सं. 6 का 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादाधीन कृषि आराजियात का पक्षकारान् ने मौके पर मौखिक रुप से अन्दाज में बंटवारा कर रखा है तथा बंटवारे में प्राप्त भूमि पर ही पक्षकारान् रिहायश हेतु पुख्ता मकानात बनाकर आबाद है तथा रिहायशी मकानात में आवागमन हेतु मौके पर रास्ता कायम कर रखा है तथा तदनुसार ही ख.नं. 2603 में उत्तरी सीमा की तरफ वादी कानाराम रिहायश हेतु पुख्ता मकानात बनाकर आबाद है। उक्त कृषि आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 की संयुक्त राजस्व रिकार्ड की भूमियां हैं जिनका पक्षकारान् ने मौके पर मौखिक रुप से अन्दाज में बंटवारा कर रखा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वर्णित हक हिस्सा एवं रकबे के मुताबिक विधिक रुप से बंटवारा का अंकन नहीं हो रखा है एवं राजस्व रिकार्ड संयुक्त चला आ रहा है। संयुक्त राजस्व रिकार्ड की आड़ में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 वादीगण को बंटवारे में प्राप्त उक्त कब्जे काश्त एवं उपयोग तथा उपभोग की भूमियों में एवं रिहायश हेतु निर्मित पुख्ता मकानात में आवागमन के कायम रास्ते में हस्तक्षेप करना शुरु कर दिया है तथा वादीगण के हक हिस्से की भूमियों के विशिष्ट भू-भाग पर बलात् कब्जा कर भू-माफिया गिरोह के व्यक्तियों को बेचान कर विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा करने को आमादा है। वादीगण द्वारा वादाधीन भूमियों का मुताबिक राजस्व रिकार्ड में वर्णित हक हिस्सा एवं रकबा के मौके पर किये बंटवारे का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने एवं पृथक पृथक खाता करवाने के लिए प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 से आग्रह किये जाने के बावजूद भी प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 कोई रुचि नहीं ले रहे हैं तथा विभाजन करने के लिए इन्कार कर रहे हैं तथा अपनी मनमर्जी से भूमियों के विशिष्ट भू-भाग पर बलात् कब्जा कर भू-माफिया गिरोह के व्यक्तियों को बेचान, हस्तानान्तरण करने पर आमादा है तथा वादीगण के रिहायश हेतु निर्मित मकानात में आवागमन हेतु कायम रास्ते की भूमि पर जबरन कब्जा कर वादीगण का आवागमन का रास्ता अवरोधित करने पर आमादा है। वाद कारण आज से करीब 10-15 रोज पूर्व वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 को मौके पर किये गये बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में वर्णित हक हिस्से के मुताबिक विधिवत् रुप से राजस्व रिकार्ड में बंटवारा के लिए आग्रह करने के बावजूद राजस्व रिकार्ड में बंटवारा करने से इन्कार करने एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 द्वारा अपनी मनमर्जी से

६


उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़

वादीगण के रिहायश हेतु निर्मित मकानात में आवागमन हेतु कायम रास्ते की भूमि पर बलात् कब्जा कर रास्ते को अवरोधित करने तथा भू-माफिया गिरोह के व्यक्तियों को बेचान करने का धमकी दिये जाने के कारण तथा वादीगण के हक हिस्से की भूमियों में हस्तक्षेप करने के कारण उत्पन्न हुआ जो क्षण प्रति क्षण निरन्तर रूप से चालु है। अन्त में वादीगण ने वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि आराजियात का वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित हक हिस्से एवं मौके पर किये गये मौखिक बंटवारे के मुताबिक वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 के मध्य वादाधीन कृषि आराजियात का बंटवारा करने तथा बंटवारे में प्राप्त भूमियों में आवागमन हेतु रास्ता कायम राजस्व रिकार्ड करने, तदनुसार राजस्व रिकार्ड दूरस्त करने, बंटवारे में प्राप्त भूमि का वादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया करने एवं वादीगण को बंटवारे में प्राप्त भूमियों के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने, सीव नींव खुर्द बुर्द करने, कब्जा काश्त में बाधा उत्पन्न करने, आवागमन के रास्ते को अवरोधित करने से प्रतिवादीगण स्वयं, परिजन, नोकर, प्रतिनिधि को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किये जाने का अनुतोश चाहा।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 7 लगायत 9 की तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 की ओर से वकील श्री सुरेन्द्रपाल धायल ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। दिनांक 29/08/2019 को वकील प्रतिवादीगण द्वारा उनवानी वाद पत्र में जवाब दावा प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही मौका एवं रिकार्ड के अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने की आदेशिका पर सहमति जाहिर की। न्यायालय द्वारा दिनांक 29/08/2019 को वाद में उभय पक्षकारान् की सहमति से प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार दांतारामगढ़ से बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस प्राप्त हुआ। वकील प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 की ओर से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत की गयी। वकील वादी द्वारा आपत्ति का जवाब पेश किया गया। बहस आपत्ति सुनी गयी। वकील प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 द्वारा आपत्ति आवेदन में वर्णित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रकरण में वादीग्रस्त भूमियां का 40-45 वर्ष पूर्व मौके पर बाहमी बंटवारा हो चुका है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमियों के विभाजन बाबत एक पारिवारिक लिखावट हुयी थी तथा उस लिखावट अनुसार मौके पर कब्जा है, किन्तु बंटवारा प्रस्ताव लिखावट के अनुसार तैयार नहीं किया गया एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 के ख.नं. 2603 में दर्ज हिस्से की भूमि वादी कानाराम को दे दी गयी। आवागमन हेतु जो रास्ते प्रस्तावित किये हैं उनका रकबा सभी खातेदारान् के रकबे/हिस्से में से कम नहीं किया गया है, इसलिए


उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़

आपत्ति स्वीकार कर पुनः बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया जावे। वकील वादीगण द्वारा आपत्ति के खण्डन में प्रस्तुत किये गये जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रतिवादीगण वकील ने माननीय न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत कर प्राथमिक डिक्री को निरस्त करने का अनुतोश आपत्ति के प्रत्येक पेरा में चाहा है, किन्तु प्राथमिक डिक्री के सम्बंध में आक्षेप सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, सीकर को है, अदालत हाजा को नहीं है। वादग्रस्त भूमियों के बंटवारे बाबत वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई पारिवारिक लिखावट नहीं हुयी थी। वकील प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति आवेदन के साथ पेश तथाकथित पारिवारिक लिखावट/समझौता की फोटो प्रति दिनांकित 18/08/2019. कतई फर्जी है। वैसे भी तथाकथित लिखावट में न ही तो खसरा नम्बरान् का अंकन है एवं न ही वादग्रस्त भूमियों में वर्णित सभी खातेदारान् पक्षकार है एवं न ही सभी पक्षकारान् के हस्ताक्षर है इसलिए तथाकथित पारिवारिक लिखावट लिखावट की परिभाषा में ही नहीं आती है। विधि का यह सुरस्थापित सिद्धान्त है कि कोई भी लिखित जो पक्षकारों के अधिकारों को सृजित करती हो उसका पंजीकृत होना एवं पूर्ण मुद्रांकित होना बाध्यकारी है किन्तु तथाकथित पारिवारिक लिखावट न ही तो पंजीकृत है एवं न ही मुद्रांकित है इसलिए ऐसे दस्तावेज का विधि की दृष्टि में कोई साक्ष्यिक महत्व नहीं है। प्रतिवादीगण की ओर से न ही प्रस्तुत तथाकथित पारिवारिक लिखावट की मूल प्रति को न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत कर अपनी साक्ष्य से प्रदर्शित करवाकर साबित करने का प्रयास किया है। प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना कर तैयार किया गया है तथा नियम 20 के तहत ही प्रत्येक खसरा नम्बर में पक्षकारान् को बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस/अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि खातेदारान् को उनके हिस्से के अनुपात में दी गयी है। ख.नं. 2603 में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 का 1/6 हिस्सा है जिसकी 0.1500 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण की बनती है किन्तु प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 को इस नम्बर में कुल 0.2856 हैक्टेयर भूमि बंटवारा प्रस्ताव में दी गयी है एवं इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 6 का भी 1/6 हिस्सा है जिसकी भी 0.1500 हैक्टेयर भूमि बनती है किन्तु उसको भी 0.2856 हैक्टेयर भूमि बंटवारा प्रस्ताव में दी गयी है। सभी खातेदारान् को रास्ते से लगती हुयी भूमियां बंटवारा प्रस्ताव में दी गयी है। रास्ते हेतु प्रस्तावित की गयी भूमियां का रकबा सभी खातेदारान् की खातेदारी में से उनके हिस्से के अनुपात में कम किया गया है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा पूर्वानुसार बदस्तूर जमाबंदी पक्षकारान् के शामिलती रखा गया है। इस प्रकार बंटवारा नियम 20 के उप-नियम में प्रयुक्त शब्दावली कि मंशा के अनुरूप ही पक्षकारान् को जहाँ तक संभव हुआ किस्म, गुणवता एवं मालियत के हिसाब से अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी


उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ़

भाकारान् द्वारा निर्मित उनके पुख्ता मकानात् की सुविधा को ध्यान में रखते हुये बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है जो पक्षकारान् के मध्य रिकार्ड एवं मौके के अनुसार पूर्णतया व्यवहारिक एवं संतुलित है जिसमें तथ्यात्मक एवं विधिक दृष्टि से कोई त्रुटि नहीं होने से आपत्तिकर्तागण की आपत्ति खारिज की जाकर प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव के मुताबिक एवं माफिक अनुतोष अंतिम डिक्री पारित कर वाद डिक्री किया जावे। वकील वादीगण द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत: (1) आर. आर. डी. 2002 पेज नम्बर 115 नारायण दत्त व अन्य बनाम महावीर प्रसाद व अन्य (2) आर. एल. डब्ल्यू 2003(3) पेज 1891 मदनलाल बनाम विधिक प्रतिनिधि स्व. रामप्रसाद (3) आर. आर.टी. 2019 (1) पेज 01 प्रस्तुत किये। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. सुनी गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं बंटवारा प्रस्ताव के समग्र अवलोकन से प्रकट है कि प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव में प्रत्येक खातेदारान् अर्थात् वादीगण एवं आपत्तिकर्तागण को उनके हक हिस्से एवं खातेदारी में दर्ज हिस्से के अनुपात में पूर्ण भूमि बंटवारा प्रस्ताव में दी गयी है। प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 की खातेदारी में मुताबिक राजस्व रिकार्ड कुल 1/3 हिस्से की 1.0833 हैक्टेयर भूमि दर्ज है तथा बंटवारा प्रस्ताव में आपत्तिकर्तागण को कुल 1.0834 हैक्टेयर भूमि बंटवारा प्रस्ताव में दी गयी है। ख.नं. 2603 में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 को उनकी खातेदारी में दर्ज 1/6 हिस्से की 0.1500 हैक्टेयर भूमि के बजाय इस नम्बर में एक जगह 0.2856 हैक्टेयर भूमि एवं प्रतिवादी सं. 6 को उसके 1/6 हिस्से की 0.1500 हैक्टेयर भूमि के बजाय 0.2856 हैक्टेयर भूमि इस नम्बर में बंटवारा प्रस्ताव में दी गयी है इसलिए आपत्तिकर्तागण/प्रतिवादीगण की यह आपत्ति कतई गलत है कि ख.नं. 2603 में आपत्तिकर्तागण/प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि वादी कानाराम को दे दी गयी। बंटवारा प्रस्ताव में प्रस्तावित रास्ते की भूमि का रकबा सभी खातेदारान् वादीगण एवं प्रतिवादीगण सभी के हिस्से में से कम किया गया है। रास्ते की भूमि को पूर्वानुसार जमाबंदी में दर्ज खातेदारी के मुताबिक प्रस्तावित किया है इसलिए आपत्तिकर्तागण/प्रतिवादीगण का यह कथन भी गलत है कि रास्ते की भूमि का रकबा सभी खातेदारान् की भूमि में से कम नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण की मुख्य आपत्ति यह भी रही कि तथाकथित पारिवारिक लिखावट दिनांकित 18/08/2019 के अनुसार मौके पर कब्जा था एवं इस लिखावट के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत फोटो प्रति तथाकथित लिखावट के अवलोकन से प्रकट है कि तथाकथित लिखावट को न ही तो प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा एवं अपनी साक्ष्य प्रस्तुत कर अपनी ओर से साक्ष्य में प्रदर्शित करवाकर साबित किया गया है एवं न ही प्रस्तुत लिखावट में उनवानी वाद में वर्णित भूमियों के

५

उपखण्ड अधिकारी वातारामगढ

समस्त खातेदार पक्षकार है एवं न ही वादग्रस्त भूमियों के खसरा नम्बरान का अंकन है व न ही पक्षकार मुकदमा हाजा समस्त के हस्ताक्षर है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि ऐसा कोई भी दस्तावेज/पारिवारिक लिखित/ईकरारनामा जो किसी सम्पत्ति के सम्बंध में पक्षकारान् के अधिकारों का सृजन करता हो ऐसे दस्तावेज का पंजीकृत एवं पूर्ण मुद्रांकित होना आवश्यक है किन्तु तथाकथित लिखावट न तो पंजीकृत है एवं न ही मुद्रांकित है इसलिए पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 एवं 49 के प्रावधानों के विपरित होने से एवं वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत -(1) आर. आर. डी. 2002 पेज नम्बर 115 नारायणदत्त व अन्य बनाम महावीर प्रसाद व अन्य अपील सं. 314/1997 निर्णित दिनांक 27 दिसम्बर 2001 में राजस्व मण्डल द्वारा पारित मतानुसार एवं (2) आर. आर. टी. 2019 (1) पेज 01 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय के आलोक में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत लिखावट दिनांकित 18/08/2019 की फोटो प्रति का विधिक दृष्टि से कोई साक्ष्यिक महत्व नहीं है। लिहाजा उपरोक्त विवेचनानुसार आपत्तिकर्तागण/प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 की ओर से प्रस्तुत आपत्ति खारिज की जाकर प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के अनुसार अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 की ओर से प्रस्तुत आपत्ति अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार दांतारामगढ़ से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के मुताबिक वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है व प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वादीगण के बंटवारे में प्राप्त भूमि के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने, सीव-नीव खुर्द बुर्द करने, पेड़ पौधे काटने व आवागमन के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने से प्रतिबंधित रहे तथा प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार दांतारामगढ़ को राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सैं कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़

अंतिम डिक्री व मुकदमें इबतदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जांबा दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

इजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

काना बनाम कालू आदि

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा, रिकार्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं० 93/2019 दावा


निर्णय

दिनांक 11-01-2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजेश कुमार मीणा आर.ए.एस बहाजरी श्री नन्दलाल धायल व नन्दलाल पलसानिया मिनजानिब मुददई व श्री सुरेन्द्रपाल धायल मिनजानिब मुददालह पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि तहसीलदार दांतारामगढ के पत्रांक भू0अ0/342 दिनांक 06.02.2020 के द्वारा ग्राम पंचार प0ह0 पंचार का बंटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस प्राप्त होने पर अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से जारी की जाती है :-

| क्र.सं. | खातेदार का नाम मय वल्लियत | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म | लगान रुपये में |
|---------|---|------------|--------|--------------|----------------|
| 1. | कानाराम पुत्र मोहनलाल फुलीदेवी पत्नि मोहनलाल जाति कुम्हार सा. देह खातेदार | 2603/2 | 0.2856 | चा-1 | 9.13 |
| | | 2594/4 | 0.0606 | चा-1 | 1.76 |
| | | किता-2 | 0.3462 | | 10.89 |
| 2. | जोधाराम पुत्र रुधनाथ जाति कुम्हार सा. देह खातेदार राहिन बी.आर.के.जी.बी शाखा पंचार मूर्तहीन | 2603/3 | 0.2856 | चा-1 | 9.13 |
| | | 2594/2 | 0.2337 | चा-1 | 6.81 |
| 3. | मगलचन्द, कालूराम, नारायण, सावरमल पुत्र श्रीकिशन धापूदेवी धम. श्रीकिशन हि० ब० हि० सा. देह खातेदार राहिन बी.आर.के.जी.बी शाखा पंचार मूर्तहीन | 2603/4 | 0.2856 | चा-1 | 9.13 |
| | | 2594/5 | 0.2337 | चा-1 | 6.81 |
| | | किता-2 | 0.5193 | - | 15.94 |
| 4. | गगाराम पुत्र हरबक्स जाति कुम्हार सा.देह खातेदार | 2581 | 0.87 | चा-1 | 27.84 |
| | | 2582 | 0.06 | चा-1 | 1.92 |
| | | 2593 | 0.59 | चा-1 | 18.88 |
| | | 2594/3 | 0.2108 | चा-1 | 6.16 |
| | | किता-4 | 1.7308 | | 54.80 |
| 5. | जमाबन्दी अनुसार बदस्तुर खातेदार | 2602 | 0.03 | गै.मु.चाह | - |
| | | 2603/1 | 0.432 | गै.मु.रास्ता | - |
| | | 2594/1 | 0.0612 | गै.मु.रास्ता | - |
| | | किता-3 | 0.1344 | | - |


उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।
बीज _____ मुबलिंग _____ बाबत _____ खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह _____ फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक _____ को अदा करें।
बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11-01-2022 को जारी की गई।



दस्तखत ओहदा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

| | रुपया | पैसे | मुदायलह | रुपया | पैसे |
|----------------------------|-------|------|----------------------------|-------|------|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 6 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 1 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 1 | 00 | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | - | - | मेहनताना वकील पर ... | | |
| मेहनताना वकील | - | - | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | - | - | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | - | - | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | - | - | मुतफर्रिक | 0 | 00 |
| मुतफर्रिक | 8 | 00 | | 0 | 00 |
| मीजान | 15 | 00 | मीजान | 1 | 00 |

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।


 (राजेश कुमार मीणा)
 उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

करण संख्या: 93/2019/दावा

1. कानाराम पुत्र मोहनलाल जाति कुमावत (कुम्हार) निवासी ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।
2. फूलीदेवी पत्नि मोहनलाल जाति कुमावत (कुम्हार) निवासीनी ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।
3. गंगाराम दत्तक पुत्र हरबक्सा जाति कुमावत (कुम्हार) निवासी ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

- वादीगण

ब न अ म


1. कालूराम
 2. नारायण
 3. मंगलचन्द
 4. सांवरमल
- } पुत्रगण श्रीकिशन
5. धापूदेवी पत्नि श्रीकिशन
 6. जोधाराम पुत्र रुघनाथ
- समस्त जाति कुमावत (कुम्हार) समस्त निवासीगण ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।
 8. उप-पंजीयक पंजीयन एवं मुद्रांक दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।
 9. प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भाखा पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा,
स्थायी निवेधाज्ञा एवं रिकार्ड संशोधन

उपस्थिति :-

1. श्री नन्दलाल धायल, रतनलाल पलसानियों वकील वादीगण की ओर से।
2. श्री सुरेन्द्रपाल धायल वकील प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 की ओर से।
3. प्रतिवादीगण सं. 7 लगायत 9 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।


उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ